

gfy; kkk ou fodkl fuxe fyfeVM

(हरियाणा सरकार का उपक्रम)



b&fufonk nLrkot

b&fufonk l d; k 07@2017&18

dk Zdk uke%ul Zh c&t cukuk b& kfn dk Zdsfy, A

gfy; kkk ou fodkl fuxe fyfeVM

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र

दूरभाष: 01744-259364 फ़ैक्स 01744-259364

ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in वेबसाईट: www.hfdc.gov.in

fufonk d&rk dk uke%-----

fo"k l ph

	dæ l ɔ̃; k fooj.k	i"b l ɔ̃; k
1	fufonk vɫæ.k l ɸuk	03
2	rɔ̃ɫɫɫɫ fufonk QkɛZ	04&05
3	foRɫɫ ɔ̃ɫɫ	06
4	gYQulek	07
5	ɔ̃ɫɫɫ =	08
6	vɫɫɫɫ i =	09
7	fufonk l ɛɫɫɫ l ɫɫɫɫ fu; e , ɔ̃ɫɫɫ	10&11
8	vɫɫɫɫ l ɛɫɫɫ fo'ɫɫɫ fu; e , ɔ̃ɫɫɫ	12&13

प्रेस विज्ञापित
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
(हरियाणा सरकार का उपकम)

कार्यालय: महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम कुरुक्षेत्र
दूरभाष /फैक्स न० 01744-259364 ई.मेल: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in
वेबसाईट www.hfdc.gov.in

निविदा संख्या 07/2017-18

बैंगन वन विकास निगम

महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र द्वारा हरियाणा में पंजीकृत सहकारी समितियों एवं अनुभव प्राप्त ठेकेदारों से ग्रैनुअल से नर्सरी बैगज बनाने आदि कार्यों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए (दिनांक 31.03.2018 तक करवाये जाने वाले कार्यों के लिए) दर अनुबन्ध करने के लिए online निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। लगभग 50,000 किलोग्राम ग्रैनुअल से नर्सरी बैगज की तैयार करवाई जानी हैं। यह कार्य दिनांक 31.03.2018 तक इस यूनिट की फैक्ट्री नजदीक-ब्रहम सरोवर, कुरुक्षेत्र में करवाया जाना हैं। नर्सरी बैगज बनाने की मात्रा कम/अधिक हो सकती हैं। इस कार्य पर अनुमानित खर्च 10.93 लाख रुपये होगा। अनुमानित खर्च की राशि करवाये जाने वाले कार्य अनुसार कम/अधिक हो सकती हैं। यह निविदा दिनांक 27.07.2017 बाद दोपहर 2.30 बजे तक online आमन्त्रित की जाती है। तकनीकी बोली दिनांक 28.07.2017 को दोपहर पहले 11.30 बजे व वित्तीय बोली बाद दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। इस कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज/जानकारी इस निगम की वेबसाईट: www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कार्य की निविदा के लिए फार्म फीस ₹500/- (पांच सौ रुपये) व ई-टैण्डिंग की फीस ₹1000/- (एक हजार रुपये) तथा अनुमानित कार्य की राशि का 2 प्रतिशत ₹22000/- (बाईस हजार केवल) बतौर ब्याना राशि अलग से e-procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> पर जमा करवानी होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य स्थल	यूनिट	मात्रा	अनुमानित राशि (रुपयों में)	ब्याना राशि (रुपयों में)	कार्य समाप्त करने की समय अवधि
1	ग्रैनुअल से फोलडिंग ट्यूब बनाना, फोलडिंग ट्यूब की सीलींग, कटिंग व पविंग ईत्यादि सभी कार्य करना।	नर्सरी बैगज फैक्ट्री, कुरुक्षेत्र।	किलो ग्राम	50000	1092500	22000	31-03-18

महाप्रबन्धक
हरियाणा वन विकास निगम
कुरुक्षेत्र।

HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Haryana Govt. Undertaking) Office of : GENERAL MANAGER, HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION LTD. KURUKSHETRA.	
NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF FOLDING TUBES FROM GRANULE, SEALING, CUTTING IN TO SIZES, PUNCHING ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT.	
TECHNICAL BID	
1. NAME AND FULL ADDRESS OF CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON WITH MOBILE NO. AND E-MAIL ADDRESS	
2. REGISTRATION/RENEWALE NO. WITH HFDC FOR THE YEAR 2017-18.	
3. LEGAL STATUS OF CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON A) AADHAR CARD B) PAN C) E.P.F. No. D) E.S.I. No.	
4. HAVE YOU DEPOSITED EMD, FORM FEE, E-TENDER SERVICE FEES ETC? IF YES, GIVE FULL DETAIL OF DEPOSITED AMOUNT.	
5. HAVE YOU ATTACHED ALL RELEVANT DOCUMENTS RELATED TO TENDER ? IF YES, GIVE LIST OF ALL DOCUMENTS SEPARATELY. * AFFIDAVIT ON STAMP PAPER ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC CERTIFYING CLEARLY THAT THE INFORMATION GIVEN BY THE CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON ARE TRUE AND CORRECT AND ALSO ACCEPT THE ALL TERMS & CONDITIONS GIVEN IN THE TENDER. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE) * UNDERTAKING ON THE LETTER HEAD BY THE CONTRACTOR /FIRM/AGENCY/SOCIETY TO KEEP THE FINANCIAL BID VALID FOR THE STIPULATED DECIDED TIME PERIOD TILL THE COMPLETION OF THE WORK. (DRAFT AS PER DNIT PDF FILE)	
6. DETAILS OF BANK OF CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON A) NAME OF BANK B) BANK BRANCH WITH FULL ADDRESS C) TYPE OF ACCOUNT D) ACCOUNT No. E) IFSC CODE	

7. WORK EXPERIENCE (EXPERIENCE OF WORK WITH HARYANA FOREST DEPARTMENT/HARYANA FOREST DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE WORK FOR WHICH THE TENDER HAS BEEN APPLIED.)	
8. WHETHER THE APPLICANT CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON HAS TO LEAVE/POSTPONE ANY WORK AFTER TAKING INTO HANDS/IT'S INITIATION WITHIN SIX MONTH OF ALLOTMENT OF TENDER AND WORK. IF YES, GIVE DETAILED REASONS OF LEAVING/POSTPONEMENT OF WORK WITH THE NAME OF THAT PROJECT AND WORK.	
9. WHETHER THE APPLICANT CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON HAS LEFT ANY WORK BEFORE IT'S COMPLETION. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH BASIC REASONS FOR WHICH THE WORK HAD BEEN LEFT.	
10. WHETHER APPLICANT CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON HAS BEEN BLACK LISTED AFTER APPLYING FOR WORK OR AFTER ALLOTMENT OF WORK IN ANY GOVT. ORGANISATION AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS WITH REASONS.	
11. WHETHER APPLICANT CONTRACTOR/ FIRM/ SOCIETY/ PERSON HAS BEEN CONVICTED BY THE HON'BLE COURT AT ANY POINT OF TIME. IF YES, GIVE FULL DETAILS .	
12. IF ANY OTHER INFORMATIONS, WHICH IS IMPORTANTENT/ NECESSARY AS PER YOUR OPINION, GIVE DETAILS.	

SIGNATURE OF THE BIDDER

Haryana Forest Development Corporation Limited

(Haryana Govt. Undertaking)

Office: General Manager, Haryana Forest Development Corporation Ltd. Kurukshetra
Tel./Fax No. 01744-259364 E-mail: gm.kurukshetra@hfdc.gov.in Website: www.hfdc.gov.in

Tender No. 07/2017-18

Financial Bid

NATURE OF WORK: MANUFACTURING OF FOLDING TUBES FROM GRANULE, SEALING, CUTTING IN TO SIZES, PUNCHING ETC. COMPLETE IN ALL RESPECT.

S.N.	Name & Particular of Work	Unit	Rate per Kg. In figure and words (in Rs.)	Remarks
1	Manufacturing of Folding Tubes from Granule, Sealing, Cutting in to sizes, Punching etc. complete in all respect.	Kg.		

Signature of the bidder

हल्पनामा

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ इस निविदा मे मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य और सही है।
2. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ मुझे/मेरी फर्म मैसर्ज.....को पिछले पाँच वर्षों के दौरान ना ही तो सरकारी संगठनो ने मेरे कार्य को रद्द किया और ना ही मेरे/मेरी फर्म द्वारा निविदा जमा करवाने तक कोई कार्य बीच मे छोडा गया है।
3. मै/हम प्रमाणित करते है कि निविदा दस्तावेजों मे दिये गये निर्धारित सभी नियमो/शर्तो को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ/करते है ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
शीर्षक.....
फर्म का नाम.....
दिनांक.....

वचनपत्र

मै/हमारी फर्म मैसर्ज..... इस निविदा को जमा करवाने से दिनांक 31.03.2018 तक वैध रखने के लिए वचनबद्ध हूँ और इस बोली को दिनांक 31.03.2018 की अवधि तक स्वीकार करता हूँ।

फर्म के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पद.....

फर्म का नाम.....

दिनांक.....

वृत्तिका =

यह अनुबन्ध दिनांक.....2017 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धक..... व (सफल संविदाकार का नाम) के मध्य कार्यान्वित किया गया है।

हरियाणा वन विकास निगम लि. द्वारा(कार्य का नाम) की पूर्ति के लिए निविदाएं आमात्रित की गई थी।..... सफल निविदाकर्ता की निविदा को मूल्यांकन व दर के आधार पर निगम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

कार्य का नाम.....

स्वीकृत दर.....

दिनांक..... के वचन पत्र के अनुसार निविदाकर्ता निविदा सम्बन्धी सभी निर्देशों व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है और समय-समय पर कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तों को भी मानने के लिए तैयार है।

निविदाकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक.....दिनांक..... द्वारा सूचित किया गया है कि निगम के पत्र क्रमांक.....दिनांक..... के कार्य के प्रस्ताव को निविदा की निर्देशों व शर्तों के अनुसार पूर्ण करने के लिये तैयार है।

इस अनुबन्ध के अन्य विवरण इस प्रकार से है:-

1. इस अनुबन्ध में कार्य से सम्बन्धित आशयों का मतलब वही होगा जो निर्देशों व शर्तों में दर्शाया गया है।
2. निगम के निर्देशों व शर्तों के अनुसार किये गये कार्यों की अदायगी के लिए निविदाकर्ता निगम से मांग करेगा।
3. निगम किये गए कार्य को संतोषजनक पूर्ण पाकर बिलो की अदायगी करेगा।
4. यदि कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेना का कानूनी हकदार नहीं होगा।

निगम के अधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

xolg

xolg

1-

1-

2-

2-

H&A %fufonk l EcU/h l kck; fu; e , oa'krz

- निविदा दस्तावेज निगम की वेबसाईट www.hfdc.gov.in & <https://haryanaeprocurement.gov.in> से निर्धारित तिथियों के मध्य डाउनलोड किये जा सकते हैं। परन्तु आवेदक को निर्धारित शुल्क e-procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> के माध्यम से जमा करवानी होगी।
- वित्तीय बोली में सविदाकारों द्वारा जो दर भरे जायेंगे उसमें सभी प्रकार के खर्च (ई.पी.एफ., ई.एस. आई., सर्विस टैक्स, सुरक्षा उपकरण, औजार ईत्यादि) जो कि लेबर को दिये जाने बनते हैं शामिल करने होंगे अलग से किसी प्रकार का खर्च इस निगम द्वारा अदा नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर ईत्यादि समय-2 पर भारत सरकार/ हरियाणा सरकार द्वारा लगाया जायेगा, वह सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
- सफल बोलीदाता/कार्य करवाने वाले सविदाकार को लेबर की सूची (कार्य करने वाले का पूरा पता सहित) निगम को देनी होगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि उस द्वारा प्रत्येक लेबर को चैक/आर.टी. जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कितनी-2 राशि अदा की गई है, बैंक खाता सहित पूर्ण विवरण देना होगा।
- निविदा सम्बन्धी सभी प्रकार के शुद्धि पत्र या सूचना हरियाणा वन विकास निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेंगे।
- निविदा खुलने की तिथि के दिन सरकारी अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
- इस निविदा सम्बन्धी लिखित सभी शर्तें आवेदक को हरियाणा वन विकास निगम की माननी होगी। आवेदक की शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यह निविदा वर्ष 2017-18 के लिए रेट अनुबन्ध करने के लिए सबसे कम रेट वाली फर्म/संस्था वाली फर्मों के साथ अनुबन्ध किया जाएगा।
- सभी निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। यह माना जाता है कि निविदाकारों द्वारा निविदा भरने से पूर्व निविदा सम्बन्धित सभी विवरण ध्यानपूर्वक पढ़ लिए गये हैं।
- निविदाकर्ता आवेदन करते समय निविदा दस्तावेज शुल्क, ब्याना राशि, तकनीकी निविदा (पूर्ण दस्तावेज) और वित्तीय निविदा/बोली सम्बन्धी सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में भरेगा।
- निर्धारित निविदा फार्म के अलावा अन्य फार्म पर भरी गई निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- असफल आवेदक की ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- पूर्ण निविदा दस्तावेज आवेदक के स्थानों पर भरा हुआ और सभी पृष्ठों पर संख्या सहित व हस्ताक्षर किया हुआ हो।
 1. फर्म के पंजीकरण की प्रति।
 2. पैन कार्ड की प्रति।
 3. कार्य का अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
 4. स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो कि पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित हो जिस पर यह लिखा हो कि जो सूचना निविदाकार/बोलीदाता द्वारा दी गई है, वह सही है तथा वह निविदा में अंकित नियम व शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। (प्रारूप संलग्न)
 5. फर्म/एजेंसी के लेटर हेड पर बोली को निर्धारित समय तक वैध रखने वाले वचन पत्र। (प्रारूप संलग्न)
 6. सविदाकार द्वारा जमा करवाई गई राशि की रसीद की प्रति।
- उपरोक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर निविदाकार की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज को बोली/निविदा खोलने के समय या उसके बाद जमा करवाने वाले कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रमाण पत्रों व पुष्टिकारक दस्तावेजों की प्रतियां भी निविदा खोलने से पूर्व समय पर भरे।
- उन निविदाकारों जिनकी तकनीकी निविदा/बोली योग्य/उपयुक्त पाई जाती है तो वित्तीय निविदाएं/बोली उन्हीं की ही खोली जायेगी। अधूरी निविदाएं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- वित्तीय निविदाएं की गणितीय त्रुटियों के लिए निविदा समिति के सदस्यों द्वारा जांच की जायेगी। गणितीय त्रुटियों को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निम्नप्रकार से ठीक किया जायेगा। आंकड़ों व शब्दों की दरों में अन्तर पाये जाने पर, शब्दों में लिखी दर को माना जायेगा।
- निविदा दस्तावेजों पर हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के भरी गई निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- निविदाएं निविदाकारों/बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शाई गई तिथि व समय पर खोली जायेगी।

- निविदा के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण, तुलना व सिफारिश सम्बन्धी जानकारी निविदाकारों को सफल निविदाकार की घोषणा तक अधिकारिक तौर पर प्रकट नहीं की जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में निविदा समिति के फैसले को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले निविदाकार की निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- चयनित ठेकेदार आफर स्वीकृति के दिनांक से 7 दिन की अवधि में कुल राशि का 5 प्रतिशत (2 प्रतिशत अमानत राशि सम्मिलित करते हुए) जमानत राशि महाप्रबन्धक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र को जमा करवाकर अनुबन्ध करेगा। 7 दिन में अनुबन्ध नहीं करने पर ठेकेदार की पूर्व जमा अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि ठेकेदार चाहे तो वह लिखित आवेदन कर उक्त जमानत राशि भविष्य में उक्त कार्य के करने पर बनने वाले रनिंग बिल से भी कटवा सकता है। चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबन्ध नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अन्य ठेकेदार/विभाग द्वारा कार्य पूर्ण कराने पर कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबन्ध नहीं करने वाले ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
- कार्य की मात्रा व गुणवत्ता निगम के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पूर्ण व संतोषजनक सत्यापित होने पर जमा किए गए बिलों की अदायगी की जा सकेगी।
- निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर उसकी ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी।
- निर्धारित कार्य पूर्ण करने व अन्तिम बिल की अदायगी होने के एक महीने के अन्दर जमानत व अमानत राशि भी वापिस कर दी जायेगी।
- बोलीदाता की बोली/निविदा की वैधता जमा करवाने की आखिरी तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक होगी। दिनांक 31.03.2018 तक की अवधि से कम वैधता वाली बोली को निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकर्ता को इस बारे अपने कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर वचन पत्र (अंडर टेकिंग) देना होगा।
- असाधारण परिस्थितियों में मूल समय सीमा की समाप्ति से पूर्व, निगम निविदाकर्ताओं को निविदा/बोली वैधता की अवधि को बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा अनुरोध और निविदाकर्ताओं के जवाब लिखित में या मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। निविदाकर्ता बिना ब्याना राशि जब्त करवाये ऐसे अनुरोध को मना कर सकता है। ऐसा अनुरोध को स्वीकार करने वाले निविदाकर्ताओं को अपनी बोली/निविदा (तकनीकी/वित्तीय) को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु वांछित समय तक बोली वैधता बढ़ानी होगी।
- सफल बोलीदाता को हरियाणा वन विकास निगम के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समय पर कार्य का निष्पादन करने के लिए समझौता का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर करना होगा।
- ऐसे निविदाकर्ताओं जिसकी बोली/निविदाएं योग्य नहीं पाई जाती उनकी ब्याना राशि वापिस लौटा दी जायेगी।
- ठेकेदार जिसका नजदीकी सम्बन्धी वन विभाग या इससे सम्बन्धित बोर्ड या कापोरेशन में कार्यरत होगा वह कार्य के लिए निविदा देने का पात्र नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करने पर विभाग के ठेकेदार अनुमोदित सूचि से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में दी गई शर्त अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को मान्य होगी।
- पीस रेट कान्ट्रैक्ट प्रणाली से कार्य कराते समय ठेकेदार को समय-समय पर जारी एवं प्रचलित अधिनियम (CONTRACT LABOUR (REGULATION & ABOLITION) ACT, 1970; MINIMUM WAGES ACT; PAYMENT WAGES ACT; BONUS ACT; GRATUITY ACT; E.S.I ACT etc.) नियमों एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी नियमों, अधिनियमों एवं दिशा निर्देश की उल्लंघना होने की परिस्थिति में यदि कोई राशि अथवा मुआवजा श्रमिकों को देने की स्थिति आती है तो यह राशि अथवा मुआवजा ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।
- सक्षम अधिकारी किसी भी या सभी निविदा/बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- इस निविदा सम्बन्धी कोई भी विवाद होने पर मामला सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक के पास रखा जायेगा। फिर भी विवाद न सुलझने की स्थिति में मामला प्रधान मुख्य वन संरक्षक- कम-प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम, पंचकूला के पास भेजा जायेगा, जिनका फैसला सभी को मान्य होगा।
- इस निविदा सम्बन्धी विवाद होने पर मामला कुरुक्षेत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा।

.....

भाग-II : अनुबन्ध सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें

1. वृक्षों की कटाई से पूर्व हरियाणा वन विकास निगम के कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित विभाग/एजेंसी से कटाई किये जाने वाले वृक्षों का चार्ज मार्किंग सूची अनुसार लिया जायेगा । जिस क्षेत्र के वृक्षों की कटाई हेतु चार्ज लिया जायेगा उसकी मार्किंग सूची व चार्ज रिपोर्ट की प्रति कटाई करवाने वाले संविदाकार को भी उपलब्ध करवाई जायेगी ।
2. संविदाकार द्वारा मार्किंग सूची व चार्ज रिपोर्ट के अनुसार ही वृक्षों की कटाई एवं अन्य सम्बन्धित कार्य करवाये जायेंगे। वृक्षों की कटाई का कार्य निगम के कर्मचारी के निरीक्षण में करवाया जायेगा। संविदाकार द्वारा निगम के कर्मचारी/प्रतिनिधि द्वारा निर्देशित वृक्षों की ही कटाई एवं अन्य सम्बन्धित किये जायेंगे। इसके अलावा कटाई करने पर संविदाकार का अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा तथा ब्याना राशि जब्त कर ली जायेगी। संविदाकार को निगम से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जायेगा।
3. संविदाकार द्वारा कटाई, रूपान्तरण, ढुलाई, उतराई, परिवहन, जड खुदाई के लिए आव यक मानव संसाधन, औजार, वाहन एवं म मिनरी का प्रबन्ध अपने स्तर पर करना होगा। हरियाणा वन विकास निगम प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने के अलावा किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा।
4. हरियाणा राज्य में मुख्यतः वृक्षों की कटाई का कार्य सडकों, नहरों, रेलवे लाईनों या किसी संस्था में खड़े वृक्षों के लिये किया जाता है। ये क्षेत्र दुर्घटना सम्भावित स्थल होते हैं। इसलिए संविदाकार वृक्षों की कटाई सम्बन्धित कार्य करते समय सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध करेगा ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो।
5. वृक्षों की कटाई, ढुलाई, स्टैकिंग आदि का कार्य करवाते समय किसी प्रकार के नुकसान की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सम्बन्धित कार्य करवाने वाले संविदाकार की होगी ।
6. संविदाकार वृक्षों की कटाई एवं सम्बन्धित कार्य निगम कर्मचारी के दिशा निर्देशानुसार ही करेगा। अपनी मर्जी अनुसार कोई भी कार्य नहीं करेगा। कई बार किसी जगह पर प्राथमिकता के आधार पर कटाई करवानी पडती है, इसलिए संविदाकार को वर्क आर्डर जारी करने के एक सप्ताह के अन्दर कटाई का कार्य करना होगा।
7. संविदाकार द्वारा जहाँ आवश्यक होगा, सभी वृक्षों की जड़े निकलवाने का कार्य करवाना होगा । इस बारे में वृक्षों की कटाई आरम्भ करवाने से पूर्व निगम के कर्मचारी/प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में बताई जायेगी ।
8. संविदाकार द्वारा वृक्षों की कटाई का कार्य (टिम्बर का साईज, बालन की ग्रेडिंग ईत्यादि) निगम के फीलड कर्मचारी द्वारा बताये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करवाना होगा ।
9. संविदाकार द्वारा काटी गई वन उपज की पैमाई । निगम के कर्मचारी की देखरेख में करवाई जायेगी । किसी प्रकार के वाद-विवाद का निपटान निगम के प्रबन्धक/ महाप्रबन्धक के समक्ष लाया जायेगा जिसका निर्णय संविदाकार/कर्मचारी द्वारा माना जायेगा ।
10. संविदाकार द्वारा वृक्षों की कटाई का कार्य दी गई समयावधि के दौरान करवाना होगा जो कि निगम के प्रबन्धक/कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में बताई जायेगी ।
11. काटी गई वन उपज की वन डिपो से सेल डिपो में ढुलाई सूर्य अस्त के पश्चात् नहीं की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ढुलाई की जाने वाली वन उपज का रवाना चालान साथ लगा हैं । यह रवाना चालान निगम के कर्मचारी द्वारा जारी किया जायेगा। रवाना चालान में अंकित वन उपज को डिपो में पहुँचाकर उसे प्रजातिवार निगम कर्मचारी के निर्देशानुसार चट्टो में लगाना होगा।
12. संविदाकार द्वारा कटवाये गये वृक्षों का बिल जिसमें रीच/क्षेत्र का नाम व वृक्षों की किस्म, श्रेणी वाईज अलग-2 दी जायेगी । संविदाकार द्वारा करवाये गये कार्य के बिल पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से आवश्यक प्रमाण-पत्र लेना होगा ।
13. इस कार्य सम्बन्धित अन्य शर्तें वर्क आर्डर जारी करते समय या कार्य करने के दौरान भी विशेष रूप से मौखिक व लिखित रूप में संविदाकार को सूचित की जा सकती है। जिनकी वह मौके पर कार्य करते समय पालना करेगा।
14. प्रत्येक संविदाकार को Technical Bid निर्धारित प्रपत्र पर भरकर देनी होगी । यदि किसी संविदाकार की Technical Bid अधूरी पाई गई तो, उसकी Financial Bid पर विचार नहीं किया जायेगा ।
15. संविदाकार द्वारा नर्सरी बैग/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि बनाने का कार्य (ग्रेडिंग ईत्यादि) निगम के फीलड कर्मचारी द्वारा बताये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाना होगा । यह सभी कार्य निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की देख-रेख में करवाये जाएंगे ।
16. संविदाकार द्वारा नर्सरी बैग/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि बनाने का कार्य दी गई समयावधि के दौरान करवाना होगा जो कि निगम के प्रबन्धक/कर्मचारी द्वारा बताई जायेगी । नर्सरी बैग/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि बनाते समय किसी प्रकार के रॉ मैटिरियल की अनाव यक बर्बादी की जाती है तो इसकी हानि की वसूली कार्य करवाने वाले संविदाकार से की जायेगी ।

17. नर्सरी बैगज/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि बनाने का कार्य कुशल कारगिरीं द्वारा ही करवाया जायेगा । यह सभी कार्य तभी पूर्ण रूप से सही माने जायेगे जब करवाये गये कार्य पर सम्बन्धित निगम के ईन्वार्ज/प्रबन्धक अपना प्रमाण-पत्र देगे कि करवाया गया कार्य सही हैं ।
18. सर्विदाकार द्वारा बनाये नर्सरी बैगज/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि बनाने के कार्य के बिलों पर निगम के सम्बन्धित कर्मचारी व प्रबन्धक से बिल पर प्रमाण-पत्र लेना होगा तभी सम्बन्धित बिल की अदायगी सर्विदाकार को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./चैक के माध्यम से ही की जायेगी ।
19. सर्विदाकार द्वारा बनाये नर्सरी बैगज/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि सप्लाई करने उपरांत भी किसी प्रकार की कमी ईत्यादि पाई गई तो इसकी भरपाई सर्विदाकार से की जायेगी ।
20. सर्विदाकार द्वारा बनाये जा रहे या बनाये गये नर्सरी बैगज/बारबड़ वायर/फर्नीचर/केटस ईत्यादि का निरीक्षण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सम्बन्धित विभाग व एजेंसी के प्रतिनिधि किसी भी समय कर सकते हैं ।
21. यदि सर्विदाकार कार्य पूर्ण नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की राशि लेने का कानूनी हकदार नहीं होगा ।

महाप्रबन्धक,
हरियाणा वन विकास निगम,
कुरुक्षेत्र ।